आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1	आदेश पर की गई कार्यवाही

16/04/24

न्यायालय अंतर्गत श्री हेमंत सती (भ0प्र0से0), उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, साहेबगंज।

आर0एम0ए0 वाद संख्या– 02/2015-16

बमबम कुमार गुप्ता

–बनाम–

मोसमात स्वर्णा देवी वगै0

अपीलार्थी :– बमबम कुमार गुप्ता, पे0– स्व0 धनीलाल गुप्ता, सा0– बरहेट, थाना– बरहेट, जिला– साहेबगंज।

उत्तरवादी :– 1. मोसमात स्वर्णा देवी, पति– स्व0 मधुसूदन पाण्डेय।
2. ओम प्रकाश पाण्डेय।
3. कन्दन कुमार उर्फ चन्दन कुमार पाण्डेय।
4. पवन कुमार पाण्डेय, पिता– मधुसूदन पाण्डेय।
5. अन्नपूर्णा देवी, पिता– मधुसूदन पाण्डेय।
6. अशोक कुमार पाण्डेय, पिता– उमा शंकर पाण्डेय। सभी साकिन– बरहेट बाजार, थाना– बरहेट, जिला– साहेबगंज (झारखंड)।

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद बमबम कुमार गुप्ता, पे0– स्व0 धनीलाल गुप्ता, सा0– बरहेट, थाना– बरहेट, जिला– साहेबगंज द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के अनुमति वाद सं0– 02/09–10 में दिनांक– 16.02.2015 को पारित आदेश के विरूद्व अपील वाद दायर किया गया है। साथ ही में धारा 5 के अन्तर्गत कालक्षांत आवेदन की दाखिल किया गया।

अवलोकनोपरांत कालक्षांत करते हुए वाद को अंगीकृत किया जाता है। उत्तरवादी को नोटिस निर्गत कर सूचना दी गई एवं इस न्यायालय के ज्ञापांक– 74/डी0बी0, दिनांक– 23.07.2015 के माध्यम से मूल अभिलेख की मांग की गई।

नोटिस तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। उत्तरवादी वकालतनामा के साथ उपस्थित।

अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज से मुटेशन परमीशन सं0– 02/09–10 के मूल अभिलेख प्राप्त।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि मुटेशन परमीशन वाद सं0– 02/09–10 के माध्यम से 1. मधुसूदन पाण्डेय, पे0– स्व0 विश्वनाथ पाण्डेय, 2. अशोक पाण्डेय, पे0– स्व0 उमाशंकर पाण्डेय, सा0– बरहेट द्वारा मौजा– बरहेट बाजार, जमाबंदी नं0– 178, 284, दाग नं0– 158, 159 एवं 160, रकवा– 2 कठ्ठा कुल 5 कठ्ठा 12 धूर जमीन पुराने मकान सहित कुल 97000/– (सन्तानवे हजार) रूपये मात्र में बात हुई। एवं

Scanned with OKEN Scanner

उनके द्वारा पूर्ण रूपये प्राप्त कर दखल कब्जा में दे दिया गया।

आगे उन्होने अपने अपील आवेदन मे यह भी कहा कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज अपीलार्थी के पक्ष में भूमि पंजीकृत करने के लिए विविधत मुटेशन परमीट निर्गत किया गया, जिसे ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कर चालान की प्रति लगाया गया है। विक्रेताओं के द्वारा अपना अधिकार छोड़कर पक्ष विहीन उक्त भूमि से हो गये। अगर आपत्तिकर्त्ता को उक्त भूमि में अपना अधिकार एवं स्वामित्व है तो वह सक्षम न्यायालय के समक्ष जाना चाहिए ना कि राजस्व न्यायालय में। इसका निष्पादन राजस्व न्यायालय में नहीं किया जा सकता है।

आगे उनके द्वारा यह भी कहा गया कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गलत आदेश पारित किया गया है, जो अपास्त करने योग्य है।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी उल्लेख किये है कि विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज पूर्व में अंचल अधिकारी, बरहेट में पदस्थापित थे। अंचल अधिकारी, बरहेट भूमि बिक्री ने के लिए अपना अनुशंसा किये, फिर किस प्रकार उनके द्वारा गलत आदेश पारित किया गया।

आगे उनके द्वारा यह भी कहा गया कि अंचल अधिकारी, बरहेट के द्वारा अपने प्रतिवेदन में प्रश्नगत भूमि मौजा– बरहेट बाजार, थाना नं0– 30, जमाबंदी नं0– 178, दाग नं0– 159 रकवा– 00–04–00 एवं दाग नं0– 160, रकवा– 00–02–07 धूर जमीन पंजी– II में विश्वनाथ पाण्डेय के नाम से दर्ज है। आवेदनकर्त्ता जमाबंदी रैयत विश्वनाथ पाण्डेय के पुत्र एवं भतीजा है। जमीन बसौड़ी है। अपने हिस्से में दखली भूमि का विक्रय करना चाहते है। फिर किस प्रकार विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा न्यायोचित आदेश पारित नहीं किये गये।

उनके द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, साहेबगंज द्वारा मुटेशन परमीशन वाद सं0– 02/09–10 में दिनांक– 16.02.2015 को पारित आदेश को अपास्त (Set-aside) करने का अनुरोध किया गया है।

जवाब में उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता का तर्क है कि प्रश्नगत भूमि बरहेट बाजार के खाता सं0– 178 एवं 284, दाग नं0– 158, 159 एवं 160, रकवा– 00–08–10 धूर से है, जो सर्वे खतियान में विश्वनाथ पाण्डेय के नाम से दर्ज है। उनके मृत्यु के पश्चात् उनके वारिशान के दखल कब्जा में उक्त भूमि रहा।

आगे उन्होने यह भी अपने तर्क में कहा कि अनुमति वाद सं0– 02/09–10 में उत्तरवादी प्रथम पक्ष कभी भी कोई कागजात बनाकर अपीलार्थी को नहीं दिया गया है। प्रश्नगत भूमि को संयुक्त भूमि मानते हुए विविध वाद सं0– 64/11–12 को निष्पादित करते हुए अपर समाहर्त्ता, साहेबगंज के न्यायालय में विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के नामांतरण परमीशन वाद सं0– 02/09–10 में पारित आदेश को अपास्त करते हुए पुनः विचार करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को प्रतिप्रेषित किया। मधुसूदन पाण्डेय एवं उमाशंकर के पुत्र अशोक पाण्डेय ने दाखिल खारीज के नाम पर धोखाधड़ी से सादा कागज पर हस्ताक्षर कराया गया। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज उक्त प्रतिप्रेषित वाद का पुनः विचार कर दिनांक– 16.05.2015 को विस्तृत आदेश पारित किये।

Scanned with OKEN Scanner

आदेश की क्रमांक एवं तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाही

जिसमें उत्तरवादी प्रथम पक्ष के सदस्य स्पष्ट रूप में कहा कि प्रश्नगत भूमि मौजा– बरहेट बाजार, जमाबंदी नं0– 178 एवं 284, दाग नं0– 158, 159 एवं 160 रकवा– 00–08–10 धूर भूमि कभी भी अपीलार्थी के पास बिक्री नहीं किये है। इस प्रकार अपीलार्थी के आवेदन खारीज करने योग्य है।

आगे उन्होने अपने तर्क में यह भी कहा कि प्रश्नगत भूमि जमाबंदी सं0– 178 एवं 284, दाग नं0– 158, 159 एवं 168, रकवा– 00–08–10 धूर भूमि को अपीलार्थी द्वारा झूठे कागजात बनाकर अपने नाम से कराना चाहते थे जब विश्वनाथ पाण्डेय के वारिशान द्वारा आपत्ति दर्ज किये तो अपर उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा परमीशन वाद सं0– 02/09–10 में दिनांक– 03.07.2009 को पारित आदेश को अपास्त करते हुए पुनविचार करने हेतु विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा पूर्व पारित आदेश को रद्द कर दिया गया।

उनके द्वारा विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा दिनांक– 16.02.2015 को पारित आदेश को यथावत करने हेतु अनुरोध किया गया हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को विस्तृत से सुनने एवं निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख के अवलोकन करने पर प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि मौजा– बरहेट बाजार, जमाबंदी नं0– 178 एवं 284, दाग नं0– 158, 159 एवं 160 रकवा– 00–08–10 धूर भूमि उत्तरवादी के पूर्वजों के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि संयुक्त है जिसके बंटवारा नहीं होने से कोई एक हिस्सेदार द्वारा बिक्री किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अभिलेख में उपलब्ध अपर उपायुक्त, साहेबगंज के द्वारा दिनांक– 14.03.2013 को विविध वाद सं0– 64/11–12 में पारित आदेश से स्पष्ट है कि धोखाधड़ी से सादा कागज में दाखिल खारीज के नाम से हस्ताक्षर कराकर विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज के न्यायालय में अनुमति हेतु आवेदन दाखिल किया गया। विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अंचल अधिकारी, बरहेट के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर बिना पूर्ण जाँच पड़ताल किये आदेश पारित किये गये है। जिसे अपास्त करते हुए पुनविचार हेतु अभिलेख वापस किया गया।

विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा सुनवाई उपरांत दिनांक– 16.02.2015 को सुनवाई उपरांत सभी तथ्यों पर विचार करते हुए पूर्व पारित आदेश को रद्द कर दिये गये, जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरांत अपीलार्थी के आवेदन को खारिज करते हुए विज्ञ अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज द्वारा अनुमति वाद सं0– 02/09–10 में दिनांक– 16.02.2015 को पारित आदेश को यथावत (Upheld) रखा जाता है। आदेश की प्रति अनुमंडल पदाधिकारी, साहेबगंज को अनुमति वाद सं0– 02/09–10 मूल अभिलेख के साथ भेजें। पारित आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें। वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

Digitally signed by Hemant Sati
Date: 2024.07.24 13:36:38 +05:30
Location: 192.168.29.165

लेखापित एवं संशोधित।

16/4/2024

उपायुक्त,
साहेबगंज।

16/4/2024

उपायुक्त,
साहेबगंज।

Scanned with OKEN Scanner